

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 182]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 22 मार्च 2018—चैत्र 1, शक 1940

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 22 मार्च 2018

क्र. 7357-वि.स.-विधान-2018.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम-59 के अधीन अध्यक्ष महोदय ने मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2018 (क्रमांक 5 सन् 2018) को उससे संबद्ध उद्देश्यों एवं कारणों के विवरण सहित मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित करने का आदेश दिया है. तदनुसार यह विधेयक तथा उद्देश्यों और कारणों का विवरण जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

अवधेश प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ५ सन् २०१८

मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक—३) विधेयक, २०१८

३१ मार्च, २००६ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय सेवाओं पर उन रकमों से, जो उन सेवाओं के लिए और उस वर्ष के लिये मंजूर की गई थी, अधिक व्यय हुई रकमों की पूर्ति करने के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से धन के विनियोग को प्राधिकृत करने के लिये उपबंध करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के उनहतरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-३) अधिनियम, २०१८ है.

३१ मार्च, २००६ को समाप्त हुए वर्ष के कतिपय अधिक व्यय की पूर्ति करने के लिये मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से रु. ३७,५८,१४,५१८ का दिया जाना.

२. मध्यप्रदेश राज्य के संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम (३) में विनिर्दिष्ट वे राशियां, जिनका कुल योग रुपये सैंतीस करोड़ अठारह लाख चौदह हजार पांच सौ अठारह होता है, उक्त अनुसूची के कॉलम (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं की बावत् प्रभारों को चुकाने के लिए ३१ मार्च, २००६ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान उन रकमों से, अधिक व्यय हुई रकमों की पूर्ति करने के लिए दी और उपयोजित की जाने के लिये प्राधिकृत की गई समझी जाएगी.

विनियोग.

३. इस अधिनियम के अधीन मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित की जाने के लिए प्राधिकृत की गई समझी गई राशियां, अनुसूची में अभिव्यक्त सेवाओं और प्रयोजनों के लिये ३१ मार्च, २००६ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के संबंध में विनियोजित की गई समझी जाएगी.

अनुसूची
(धारा २ और ३ देखिये)

(१) अनुदान का क्रमांक	(२) सेवायें और प्रयोजन	(३) आधिक्य		
		मतदत्त रुपये	भारित रुपये	योग रुपये
०६.	वित्त विभाग	पूंजीगत २६,९६,२६,९०९	०	२६,९६,२६,९०९
२४.	लोक निर्माण विभाग (सड़क तथा पुल)	राजस्व ७,७५,०६,३९४	०	७,७५,०६,३९४
३९.	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण.	पूंजीगत २,२६,५८,१०५	०	२,२६,५८,१०५
६७.	लोक निर्माण भवन	राजस्व ५९,४९,८७६	०	५९,४९,८७६
२१.	आवास एवं पर्यावरण	पूंजीगत ०	२६,५४६	२६,५४६
४५.	जल संसाधन	पूंजीगत ०	४६,६८८	४६,६८८
योग . .		३७,५७,४१,९८४	७३,२३४	३७,५८,१४,५१८

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 के साथ पठित उसके अनुच्छेद 208(1) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से उस धन के विनियोग के लिए उपबंध करने हेतु पुरःस्थापित किया जा रहा है, जो उक्त निधि पर भारित विनियोग से तथा 31 मार्च, 2006 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिये राज्य सरकार के व्यय के हेतु विधान सभा द्वारा किए गए अनुदानों से अधिक हुए व्यय की पूर्ति करने के लिए अपेक्षित है.

2. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख 20 मार्च, 2018

जयंत मलैया
भारसाधक सदस्य.

“संविधान के अनुच्छेद 209 के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.”

अवधेश प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.